

मांग संख्या .
मुख्य शीर्ष 2049

मद क्रमांक 1

महालेखाकार कार्यालय द्वारा संचालित योजना अंतर्गत आयोजनेत्तर योजनाओं के लिये ऋणों पर ब्याज दिये जाने हेतु रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 01
मुख्य शीर्ष 2013

मद क्रमांक 1

सामान्य प्रशासन विभाग हेतु मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान योजना अंतर्गत प्रत्यक्ष राज सहायता मद में राशि रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 का प्रावधान अनुपूरक अनुमान में किया गया है।

मांग संख्या 006
मुख्य शीर्ष 2071

मद क्रमांक 1

महालेखाकार ग्वालियर के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन (एन पी एस) कर्मचारियों को अंशदान देने हेतु राशि रुपये 742.83 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 7,42,83,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 007
मुख्य शीर्ष 2045

मद क्रमांक 1

म.प्र. शहरी परिवहन अधोसंरचना विकास निधि अंतर्गत अन्तर लेखा अंतरण मद में राशि रुपये 13.35 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 13,35,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

म.प्र. परिवहन अधोसंरचना विकास निधि अंतर्गत अन्तर लेखा अंतरण मद में राशि रुपये 29.73 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 29,73,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 008
मुख्य शीर्ष 2053

मद क्रमांक 1

जिला स्थापना योजना अंतर्गत विभाग द्वारा डिक्रीधन के भुगतान (भारित) हेतु लिये गये आकस्मिकता निधि से राशि रुपये 9.82 करोड़ का समायोजन किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 9,82,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 011
मुख्य शीर्ष 2852

मद क्रमांक 1 - 2

राज्य में निवेश प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिये राशि रुपये 400.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 012
मुख्य शीर्ष 2045

मद क्रमांक 1

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि में अंतरण के लिये राशि रुपये 384.45 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,84,45,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 2

अटल कृषि ज्योति योजना हेतु राशि रुपये 3415.25 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 34,15,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

टैरिफ अनुदान योजना अंतर्गत राशि रुपये 238.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,38,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

अनुसूचित जनजाति मद अंतर्गत 5 एच.पी. तक के कृषि पम्पों/श्रेणियों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु राशि की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 1924.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 19,24,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

टैरिफ अनुदान योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति मद अंतर्गत राशि रुपये 84.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 84,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

अनुसूचित जाति मद अंतर्गत 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/श्रेणियों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 1486.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 14,86,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

टैरिफ अनुदान योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति मद अंतर्गत राशि रुपये 63.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 63,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 013
मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1 - 8

नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान (अनुसूचित जनजाति उप योजना) योजना अंतर्गत केन्द्रांश हेतु राशि रुपये 62.72 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 62,71,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9 - 16

नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान (अनुसूचित जाति उप योजना) योजना अंतर्गत केन्द्रांश हेतु राशि रुपये 76.74 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 76,74,400 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17 - 24

नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान (अनुसूचित जनजाति उप योजना) योजना अंतर्गत राज्यांश हेतु राशि रुपये 41.81 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 41,80,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 25 - 32

नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान (अनुसूचित जाति उप योजना) योजना अंतर्गत राज्यांश हेतु राशि रुपये 51.16 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 51,16,400 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 018
मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 1-3

श्रम विभाग हेतु मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के लिये अन्य मद (सामान्य) में राशि रुपये 228.75 करोड़, (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) मद में राशि रुपये 86.25 करोड़ एवं (अनुसूचित जाति उपयोजना) मद में राशि रुपये 60.00 करोड़ कुल राशि रुपये 375.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,75,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 020
मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 1

न्यायालय निर्णय के अनुपालन में स्थायी कर्मियों को वेतन एरियर भुगतान हेतु राशि रुपये 684.89 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,84,89,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

न्यायालय निर्णय के अनुपालन में स्थायी कर्मियों को वेतन एरियर भुगतान हेतु राशि रुपये 793.00 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 7,93,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4215

मद क्रमांक 3

न्यायालय निर्णय के अनुपालन में स्थायी कर्मियों को वेतन एरियर भुगतान हेतु राशि रुपये 52.39 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 52,39,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति हेतु सामान्य मद में केन्द्रांश राशि के व्यय हेतु राशि रुपये 610.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति हेतु अनुसूचित जनजाति मद में केन्द्रांश राशि के व्यय हेतु राशि रुपये 220.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति हेतु अनुसूचित जाति मद में केन्द्रांश राशि के व्यय हेतु राशि रुपये 170.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,70,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति हेतु सामान्य मद के राज्यांश राशि के व्यय हेतु राशि रुपये 610.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति हेतु अनुसूचित जनजाति मद के राज्यांश राशि के व्यय हेतु राशि रुपये 220.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति हेतु अनुसूचित जाति मद के राज्यांश राशि के व्यय हेतु राशि रुपये 170.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,70,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 022

मुख्य शीर्ष 2059

मद क्रमांक 1

कार्यालय भवनों का रख-रखाव व अनुरक्षण के लिये राशि रुपये 3.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

विधायक विश्रामगृहों का रख-रखाव व अनुरक्षण के लिये राशि रुपये 2.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 026

मुख्य शीर्ष 2205

मद क्रमांक 1

संत गुलाबराव ट्रस्ट आलंडी को अनुदान के लिये आकस्मिकता निधि से दिये गये अग्रिम के समायोजन हेतु राशि रुपये 1.25 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 027

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

लोक शिक्षण अंतर्गत मदरसों में गुणवत्ता शिक्षा एवं अधोसंरचना विकास अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना में राज्यांश हेतु प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 029

मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1

विधि और विधायी कार्य विभाग हेतु उपकरणों की लीज/किराया राशि नवीन मद में राशि रुपये 548.11 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,48,11,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 030

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 1

प्रधानमंत्री आवास योजना (सामान्य) अंतर्गत केन्द्रांश हेतु राशि रुपये 610.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

प्रधानमंत्री आवास योजना (अनुसूचित जनजाति उप योजना) अंतर्गत केन्द्रांश हेतु राशि रुपये 230.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

प्रधानमंत्री आवास योजना (अनुसूचित जाति उप योजना) अंतर्गत केन्द्रांश हेतु राशि रुपये 160.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,60,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 4

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (सामान्य) योजना अंतर्गत केन्द्रांश हेतु राशि रुपये 7722.60 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 77,22,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (अनुसूचित जनजाति उप योजना) योजना अंतर्गत केन्द्रांश हेतु राशि रुपये 2911.80 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 29,11,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (अनुसूचित जाति उप योजना) योजना अंतर्गत केन्द्रांश हेतु राशि रुपये 2025.60 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,25,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (सामान्य) योजना अंतर्गत राज्यांश हेतु राशि रुपये 5148.40 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 51,48,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (अनुसूचित जनजाति उप योजना) योजना अंतर्गत राज्यांश हेतु राशि रुपये 1941.20 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 19,41,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (अनुसूचित जाति उप योजना) योजना अंतर्गत राज्यांश हेतु राशि रुपये 1350.40 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 13,50,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 033
मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (कक्षा 1 से 8) हेतु राशि रुपये 1.1080 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,10,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत कक्षा-11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति केन्द्र प्रवर्तित योजना में केन्द्रांश हेतु राशि रुपये 52.9425 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 52,94,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु राज्यांश में राशि रुपये 17.6475 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 17,64,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 034
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (सामान्य) योजना अंतर्गत राशि रुपये 138.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,38,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 035

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 1

एम.एस.एम. ई. प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन/सुविधा प्रदाय करने के लिये राशि रुपये 122.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,22,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

मुख्यमंत्री स्वरोजगार (ब्याज परिदान) के लिये राशि रुपये 35.38 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 35,38,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

एम.एस.एम. ई. प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन/सुविधा प्रदाय करने के लिये राशि रुपये 46.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 46,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

मुख्यमंत्री स्वरोजगार (ब्याज परिदान) के लिये राशि रुपये 13.34 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 13,34,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

एम.एस.एम. ई. प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन/सुविधा प्रदाय करने के लिये राशि रुपये 32.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 32,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

मुख्यमंत्री स्वरोजगार (ब्याज परिदान) के लिये राशि रुपये 9.28 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 9,28,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 037

मुख्य शीर्ष 3452

मद क्रमांक 1

महिलाओं को पर्यटन स्थल पर सुरक्षा प्रदाय करने के लिये राशि रुपये 3.748 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,74,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

महिलाओं को पर्यटन स्थल पर सुरक्षा प्रदाय करने के लिये राशि रुपये 2.499 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,49,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 038

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1 - 6

आयुष विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय मिशन आफ आयुष मेडिसिनल प्लांट मिशन में अन्य एवं पूंजीगत परिसंपत्तिया निर्मित किये जाने हेतु केन्द्र प्रवर्तित

योजना अंतर्गत केन्द्रांश राशि रुपये 24.56 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 24,55,71,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7 - 12

आयुष विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय मिशन आफ आयुष मेडिसिनल प्लांट मिशन में अन्य एवं पूंजीगत परिसंपत्तिया निर्मित किये जाने हेतु राज्यांश अंतर्गत राशि रुपये 16.77 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 16,76,94,999 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 044 मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु निःशुल्क शिक्षा योजना अंतर्गत सामान्य मद में राशि रुपये 110.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

उच्च शिक्षा अंतर्गत प्रतिभा किरण योजना हेतु सामान्य मद में राशि रुपये 372.71 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,72,71,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत गांव की बेटी योजना हेतु सामान्य मद में राशि रुपये 4640.88 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 46,40,88,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रों के लिये निःशुल्क पुस्तकें, स्टेशनरी का प्रदाय योजना हेतु अनुसूचित जनजाति उप योजना मद में राशि रुपये 33.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 33,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

उच्च शिक्षा अंतर्गत प्रतिभा किरण योजना हेतु अनुसूचित जनजाति उप योजना मद में राशि रुपये 140.53 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,40,53,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत गांव की बेटी योजना हेतु अनुसूचित जनजाति उप योजना मद में राशि रुपये 1749.84 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 17,49,84,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रों के लिये निःशुल्क पुस्तकें, स्टेशनरी का प्रदाय योजना हेतु अनुसूचित जाति उप योजना मद में राशि रुपये 33.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है..

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 33,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

उच्च शिक्षा अंतर्गत प्रतिभा किरण योजना हेतु अनुसूचित जाति उप योजना मद में राशि रुपये 97.76 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 97,76,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत गांव की बेटी योजना हेतु अनुसूचित जाति उप योजना मद में राशि रुपये 1217.28 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 12,17,28,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 045
मुख्य शीर्ष 2029

मद क्रमांक 1

लोक परिसंपत्ति प्रबंधन योजना अंतर्गत अन्य प्रभार मद में आकस्मिकता निधि के समायोजन हेतु राशि रुपये 14.46 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 14,46,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 047
मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 1

तकनीकी शिक्षा अंतर्गत मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना हेतु सामान्य मद में राशि रुपये 39.65 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 39,65,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

तकनीकी शिक्षा अंतर्गत मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना हेतु अनुसूचित जनजाति उप योजना मद में राशि रुपये 14.95 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 14,95,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

तकनीकी शिक्षा अंतर्गत मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना हेतु अनुसूचित जाति उप योजना मद में राशि रुपये 10.40 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

तकनीकी शिक्षा अंतर्गत मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना हेतु सामान्य मद में राशि रुपये 359.90 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,59,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

तकनीकी शिक्षा अंतर्गत मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना हेतु अनुसूचित जनजाति उप योजना मद में राशि रुपये 135.70 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,35,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

तकनीकी शिक्षा अंतर्गत मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना हेतु अनुसूचित जाति उप योजना मद में राशि रुपये 94.40 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 94,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 049

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विविध छात्रवृत्ति हेतु राज्यांश में राशि रुपये 10.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (कक्षा 1 से 8) हेतु राज्यांश में राशि रुपये 58.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 58,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय एवं अन्य) केन्द्र प्रवर्तित योजना में राशि रुपये 52.00 करोड़ की केन्द्रांश में अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 52,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय एवं अन्य) हेतु राज्यांश में राशि रुपये 30.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता हेतु राज्यांश में राशि रुपये 57.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 57,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 055

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

लाइली लक्ष्मी योजना निधि पर ब्याज के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष में राशि रुपये 200.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 058

मुख्य शीर्ष 2245

मद क्रमांक 1

बाढ़/अतिवृष्टि पीड़ितों को राहत योजना हेतु राशि रुपये 100.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण प्राकृतिक आपदा अनखर्चि धन निधि अकाल राहत निधि योजना में राशि रुपये 250.00 करोड़ का समायोजन किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

भारत सरकार द्वारा एन.डी.आर.एफ. से राशि रुपये 600.50 करोड़ प्राप्त हुये है। राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा राहत निधि से राज्य को सहायता अंतर लेखा अंतरण में रुपये 600.50 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,00,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 064
मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति हेतु राज्यांश में राशि रुपये 502.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,02,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति हेतु राज्यांश में राशि रुपये 207.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,07,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।